न्यायालयः— प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण कमांकः—1395/2015</u> संस्थित दिनांकः—28/12/15

Alai Salaia

शासन द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद जिला—भिण्ड म०प्र०

अभियोजन

बनाम्

सुरेश सिंह पुत्र प्रहलाद सिसोदिया(जाटव)
उर्म 39 वर्ष निवासी खिरिकया मौहल्ला, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा— 25 (1—बी) (बी) आयुद्ध अधिनियम) (राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपी द्वारा अधि० श्री अशोक जादौन)

_____*Q*

<u>// निर्णय //</u>

//आज दिनांक 04.05.2017 को घोषित किया//

आरोपी पर दिनांक 26.12.2015 को 14:30 बजे इटायली गेट गोहद में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क. 6312—6552—11—बी(1) दिनांक 22/11/1974 के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप मे अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26.12.15 को पुलिस थाना गोहद के प्रधान आरक्षक देवेन्द्रसिंह को दौराने कस्बा गश्त इटायली गेट पर एक व्यक्ति पुलिस को देख कर छिपता हुआ दिखा था, जिसे उसने पकड़ा था तो उसे उसके पास से 9 इंच लंबी लोहे की छुरी मिली थी। उक्त व्यक्ति ने अपना नाम सुरेश बताया था। आरोपी के पास छुरी रखने बावत् लाईसेंस नहीं था।

आरोपी से मौके पर ही छुरी जप्त कर जप्ती एवं गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी थी। तत्पश्चात थाना वापस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध अपराध क. 450/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्तानुसार आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपी को आरोपित आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।
- 4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूंटा फंसाया गया है

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 26.12.15 को 14:30 बजे इटायली गेट गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखी?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी आरक्षक भूरा लाल जामले अ0सा0 1, रहीम खान अ0सा0 2 एवं प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ0सा0 3 को परीक्षित कराया गया है, जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है ।

[निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण] विचारणीय प्रश्न क0—1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में जप्तीकर्ता प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 26.12.15 को वे पुलिस थाना गोहद में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को वे कस्बा गस्त पर गए थे तो कस्बा गश्त के दौरान इटायली गेट पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर छिपने लगा था, जिसे पकड़ा था। उसके पास 9

इंच लंबी लोहे की छुरी मिली थी। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम सुरेश बताया था। आरोपी के पास छुरी रखने बाबत लाइसेंस नहीं था, उसने मौके पर ही आरोपी से छुरी जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी 1 बनाया था एवं ओरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 बनाया था, जिनके कमशः सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् थाना वापस आकर उसने आरोपी के विरुद्ध प्र0पी0 04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आर्टिकल ए—1 की छुरी वही छुरी है, जो उसने मौके पर आरोपी से जप्त की थी। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने विवेचना के दौरान साक्षी भूरालाल जामले एवं रहीम खान के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे।

- 8. प्रतिपरीक्षण के पद क. 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि वह थाने से कितने बजे गश्त के लिए निकला था। उसे यह भी याद नहीं है कि थाने से कितने लोग निकले थे। वह नहीं बता सकता कि गश्त के लिए वे सबसे पहले किस स्थान पर गए थे। वह यह भी नहीं बता सकता कि वे इटायली गेट पर कितने बजे पहुच गये थे। पदक्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि जप्तशुदा छुरी को सीलबंध नहीं किया था, जप्ती चिट लगाई थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 में जो सील नमूना लगा है, वह सील नमूना आर्टिकल ए—1 की छुरी पर अंकित नहीं है।
- 09. आरक्षक भूरा लाल जामले अ०सा० 1 ने भी जप्तीकर्ता देवेन्द्र सिंह कुश्नबाह अ०सा० 3 के कथनों का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को देवेन्द्र सिंह के साथ करना भ्रमण पर जाने एवं इटायली गेट पर आरोपी से छुरी जप्त करने बावत प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि मौके पर ही आरोपी से छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र०पी० 2 बनाया गया था, जिनके कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। 10. साक्षी रहीम खान अ०सा० 02 जिसे जप्ती की कार्यवाही का स्वतंत्र साक्षी बताया गया है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी सुरेश को नहीं जानता है, उसे घटना की जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्र०पी० 2 के कमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी सुरेश से लोहे की छुरी जप्त की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफतार किया था। उक्त साक्षी ने प्र०पी० 3 का पुलिस कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया है।

अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। स्वतंत्र साक्षी द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

- 12. प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी रहीम खान अ०सा० 02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया है। आरोपी के विरूद्ध मात्र आरक्षक भूरालाल जामले अ०सा० 1 एवं प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह अ०सा० 03 के कथन शेष है। ऐसी स्थिति में प्रकरण मैं आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।
- 13. प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता देवेन्द्र सिंह अ.सा. 3 एवं आरक्षक भूरालाल जामले अ०सा० 1 ने घटना दिनांक को कस्बा गश्त पर जाने एवं गश्त के दौरान इटायली गेट पर आरोपी से छुरी जप्त करना बताया है, परंतु उक्त संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब कोई पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी थाने से रवाना होता है तो उसकी रवानगी रोजनामचे में दर्ज की जाती है एवं वह रोजनामचा सान्हा उस पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी का थाने से रवानगी का प्राथमिक साक्ष्य होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह कुशवाह अ०सा० 3 भूरालाल जामले अ०सा०1 ने घटना दिनांक को इटायली गेट पर जाना एवं छुरी जप्त करना तो बताया है, परंतु उक्त संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही प्रस्तुत न करने का कोई कारण बताया गया है। प्र०पी० 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के कॉलम नम्बर 3 में रोजनामचा सान्हा क्रमांक अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह ही संदेहास्पद हो जाता है कि आरक्षक भूरलाल जामले एवं प्रधान आरक्षक देवेन्द्रसिंह घटना स्थल पर गए थे या नहीं। उक्त तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 14. जप्तीकर्ता देवेन्द्रसिंह कुशवाह अ०सा० 3 ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना दिनांक को इटायली गेट पर जाना एवं आरोपी से 9 इंज लंबी लोहे की छुरी जप्त करना बताया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह थाने से कितने बजे निकला था उसे याद नहीं है। वह यह भी नहीं बता सकता कि वह गश्त के लिए सबसे पहले किस स्थान पर गया था एवं यह भी नहीं बता सकता कि वह इटायली गेट पर कितने बजे पहुच गया था। इस प्रकार देवेन्द्र सिंह कुशवाह अ०सा० 3 अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताने में असमर्थ रहा है कि वह इटायली गेट पर कितने बजे पहुचा था एवं वह कितने लोगों के साथ गश्त पर थाने से निकला था। साक्षी देवेन्द्र सिंह कुशवाह प्रकरण में जप्तीकर्ता है, परंतु उसके द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी न होना बताया गया है। यह

तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

- 15. साक्षी भूरा लाल जामले अ०सा० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान बताया है कि जब आरोपी से छुरी जप्त की गई थी उस समय मौके पर दीवान जी एवं रहीम खान थे, परंतु यह बात कि रहीम खान मौके पर उपस्थित था स्वयं जप्तीकर्ता देवेन्द्र सिंह कुशवाह अ०सा० 3 द्वारा नहीं बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर साक्षी भूरालाल जामले अ०सा० 1 एवं देवेन्द्र सिंह कुशवाह अ०सा० 3 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। उक्त तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।
- 16. साक्षी भूरालाल जामले अ०सा० 1 ने अपने कथन में आरोपी से घटना दिनांक को छुरी जप्त करना बताया है, परंतु उक्त साक्षी द्वारा जप्त शुदा छुरी के आकार, प्रकार एवं पहचान के बारे में कोई कथन नहीं किया गया है न ही जप्तशुदा छुरी को मौके पर सीलबंध किए जाने का कोई कथन किया गया है। देवेन्द्र सिंह अ०सा० 3 ने भी आरोपी से 9 इंच लंबी लोहे की छुरी जप्त करना बताया है, परंतु जप्तशुदा छुरी की पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने जप्तशुदा छुरी को मौके पर सीलबंध नहीं किया था मात्र जप्ती चिट लगाई थी, परंतु जप्तीपंचनामा प्र0पी० 1 में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि मौके पर जप्तशुदा छुरी पर जप्ती चिट लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त जप्ती पंचनामा प्र0पी० 1 के कॉलम नम्बर 13 में जो नमूना सील अंकित है, वह नमूना सील आर्टिकल ए—1 की छुरी पर अंकित नहीं है। प्र0पी० 1 के जप्ती पंचनामे पर भी जप्तशुदा छुरी का कोई पहचान चिन्ह अंकित नहीं है। जप्ती पंचनामा प्र0पी० 1 में जप्तशुदा छुरी पर जप्ती चिट लगाने का भी कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर जप्तीकर्ता देवेन्द्रसिंह अ०सा० 3 के कथन प्र0पी० 1 के जप्ती पंचनामे से पुष्ट नहीं रहे हैं। उक्त तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।
- 18. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी रहीम खान अ०सा० 2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। शेष साक्षी भूरा लाल जामले अ०सा० 1 एवं देवेन्द्र सिंह कुशवाह अ०सा० 3 के कथन भी परस्पर विरोधाभाषी रहे है। जप्तशुदा छुरी को मौके पर सीलबंद भी नहीं किया गया, प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जप्तशुदा छुरी का कोई पहचान चिन्ह भी वर्णित हीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त

अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

- 17. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 18. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 26.12.15 को 14:30 बजे इटायली गेट गोहद जिला भिण्ड में लोक स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 4 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के उल्लंघन में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक निषेधित आकार की लोहे की धारदार छुरी अपने आधिपत्य में रखी । फलतः यह न्यायालय आरोपी सुरेश को संदेह का लाभ देते हुए आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (बी) के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 19. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।
- 20. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़—तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावें।

स्थान:- गोहद,

दिनांक:-04.05.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)